राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ॰एस॰ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फोन नं: 0141–2712376 फैक्स नः 0141–2701822

क्रमांकः– राप्राशिप/जय/औ.शि./दिशा–निर्देश/TLM/2017–18/ 3457 दिनांकः-31/3/17

दिशा–निर्देश सत्र 2017–18

शिक्षक अनुदान/ टी.एल.एम. (Teacher Grant)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों के अधिगम के लिये रूचिपूर्ण विद्यालयी वातावरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दृष्टि से, बच्चों एवं शिक्षकों की सृजनशीलता को उभारने तथा कक्षा शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु शिक्षक अनुदान (टीएलएम) का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य टीएलएम हेतु प्रदत्त राशि द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर आनन्ददायी शिक्षण के लिए छात्र को क्रियाशील करना एवं कक्षा में शैक्षिक, रोचक एवं जीवन्त वातावरण का निर्माण करना है। सत्र 2017–18 में बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए बच्चों को आनन्ददायी शिक्षा देने के लिए इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

यह अनुदान यू डाइस 2016–17 के अनुसार शिक्षा विभाग/ पंचायती राज विभाग/संस्कृत शिक्षा /शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों/मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों/ समाज कल्याण विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगाये गये शिक्षा सहयोगियों तथा राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को देय है। अतः उक्तानुसार अनुदान सत्र के प्रारम्भ में वितरित किया जाकर शत प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् इसकी प्रगति का उल्लेख मासिक प्रगति प्रतिवेदन में करें।

शिक्षक एवं संस्था प्रधान राशि के उपयोग की कार्य योजना तैयार करेंगे। विषय–वस्तु के आधार पर विद्यालय परिसर व दीवारों पर टीएलएम राशि से चित्रांकन अथवा लेखन कराया जा सकता है। "करके सीखना" (Learning by doing) से ग्रहण की गई शिक्षा स्थायी होती है। अतः टीएलएम का अधिकाधिक उपयोग कर बच्चों को आनन्दायी शिक्षण दिया जा सकता है। शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिये संभावित टीएलएम की सूची नीचे अंकित की जा रही है। प्रत्येक शिक्षक के पास निम्न टीएलएम सन्दर्भ सामग्री में से कम से कम एक सामग्री आवश्यक रूप से होना अपेक्षित है।

क्र.सं.	विषयाध्यापक	न्यूनतम अपेक्षित स्थायी टीएलएम संदर्भ सामग्री
		प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक कक्षा शिक्षक हेतु
1.	अंग्रेजी	अंग्रेजी व्याकरण पुस्तक, शब्दकोश
2.	गणित	ज्योमेट्री बॉक्स, पहाड़ा चक्र
3.	विज्ञान	शरीर के आन्तरिक संरचना के मॉडल, चार्ट्स, विज्ञान के दैनिक जीवन में प्रयोग सम्बन्धी पुस्तिकाएं

4.	पर्यावरण अध्ययन	एटलस, जिला, राज्य एवं भारत के मानचित्र, ग्लोब
5.	हिन्दी	हिन्दी व्याकरण पुस्तक, महान व्यक्तियों की जीवनियाँ, पंचतन्त्र की कहानियॉ, शब्दकोश।
6.	संस्कृत	संस्कृत व्याकरण पुस्तक, शब्दकोश।

शेष राशि का उपयोग मॉडल/चार्ट बनाने में कच्ची सामग्री क्रय करने में किया जा सकता है।

वित्तीय प्रावधान :– 500 रुपये प्रति शिक्षक वार्षिक।

कार्य प्रक्रिया :

राशि का हस्तान्तरण जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सीधे ही विद्यालय प्रबन्धन समिति के बैंक खाते में किया जायेगा। कक्षा अनुसार पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुरूप चिह्नित सामग्री की सूची शिक्षकों द्वारा तैयार कर विद्यालय स्तर पर समेकित की जायेगी तथा टीएलएम का क्रय एसएमसी द्वारा गठित क्रय समिति जिसमें एक शिक्षक एवं दो अभिभावक प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, द्वारा किया जायेगा। टीएलएम सामग्री विद्यालय को इकाई मानकर तथा सभी शिक्षकों की पाठ्यक्रम की दृष्टि से कक्षावार समेकित आवश्यकता को ध्यान में रखकर क्रय की जायेगी।

यह सामग्री दो प्रकार की होगी –

1. **अस्थायी सामग्री (25 प्रतिशत राशि अर्थात् 125 रूपये) :–** इसका उपयोग शिक्षक कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों की सहभागिता से शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) निर्माण में कर सकेंगे। इस राशि से फेविकोल, गोंद, रंग, ब्रुश, रूई, धागा, कैंची, पतंगी कागज, चार्ट पेपर, स्केच पेन, थर्मोकॉल शीट, ब्लेड, सेलो टेप, बाँस की लकड़ी, माचिस की तीली, कृत्रिम फूल, पत्तियां, टहनी, स्क्रेप, गत्ते के कार्टून, पुराने समाचार पत्र–पत्रिकाओं में से विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का संग्रह, फलालेन का कपड़ा, सेल, बल्ब, फ्लेश कार्ड, चकरियां, मुखौटे, सांपसीढ़ी, विलोग शब्द सीढ़ी, कागज के खिलौने, कठपुतलियां, मिट्टी के खिलौने, गिनती के चार्ट, वर्णमाला चार्ट आदि सामग्री का क्रय अथवा निर्माण किया जा सकता है।
2. **स्थायी सामग्री (75 प्रतिशत अर्थात् 375 रु.) :–** इसके अन्तर्गत तैयार टीचिंग ऐड/मॉडल/सन्दर्भ पुस्तकें क्रय किये जायेंगे जिनकी सहायता से शिक्षक पाठ को सरल, रोचक एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकेंगें। इस राशि का उपयोग निम्न में किया जा सकता है –
   1. वर्किंग मॉडल्स।
   2. नॉन वर्किंग मॉडल्स।
   3. सन्दर्भ पुस्तकें, शब्दकोश।
   4 अन्य टीचिंग एड/कक्षा–कक्षों, बरामदों में सन्दर्भ शिक्षण सामग्री चित्रांकन जैसे – विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सन्धि, समास, कारक, गणित के सूत्र, यातायात संकेत, राजधानी, महापुरूषों के नाम व चित्र, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम, विज्ञान की जानकारियां आदि।

ध्यान देने योग्य बिन्दु :

1. प्रत्येक शिक्षक अपने द्वारा बनायी गई टीएलएम पर अपना नाम एवं निर्माण वर्ष अवश्य अंकित करें।
2. शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग मात्र प्रधानाध्यापक कक्ष को सजाने हेतु नहीं किया जाए बल्कि उसका उपयोग कक्षा–शिक्षण कार्य में विषय वस्तु को रोचक, आसान एवं आनन्ददायी बनाने हेतु किया जावे।
3. टीएलएम सामग्री को बक्से तथा अलमारी में बन्द नहीं रखें। उसका शिक्षण कार्य में दैनिक उपयोग करें तथा शिक्षक दैनन्दिनी में उल्लेख करें। उपयोग से सामग्री खराब होने की चिंता नहीं करें। इसका अधिकाधिक उपयोग करें।
4. हस्तनिर्मित सामग्री से वर्तनी (Spellings) की शुद्धतायुक्त, सुन्दर, स्पष्ट एवं सुपाठ्य लेखन एवं आकर्षक टीएलएम का निर्माण करें ताकि शिक्षण कार्य को सम्बलन मिल सके।
5. टीएलएम को कक्षा–कक्ष अथवा विद्यालय में निर्धारित स्थान (TLM Corner) पर रखें जिससे वह बच्चों को उपयोग करने हेतु आसानी से प्राप्त हो सके।
6. सामग्री को बरसात, नमीयुक्त जगह आदि से बचाकर रखें। टीएलएम के खराब न होने एवं रखरखाव आदि के लिए अध्यापक/ प्रधानाध्यापक को सजग एवं जागरूक रहना चाहिए।
7. सामग्री का उपयोग कर उचित माध्यम से जिला परियोजना समन्वयक को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपयोग के एक माह के अन्दर भिजवाये व इसकी सूचना परिषद् पर आवश्यक रूप से भिजवाये।

प्रधानाध्यापक का दायित्वः

प्रधानाध्यापक अपने दैनिक कक्षा अवलोकन में शिक्षक द्वारा शिक्षण में उपयोग की गई टीएलएम का अंकन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि शिक्षक द्वारा टीएलएम का उपयोग विषयवस्तु के अनुसार अध्यापक दैनन्दिनी की पाठ योजना में दर्शाया गया है।

बीईईओ का दायित्वः

विद्यालय अवलोकन में टीएलएम के उपयोग को सुनिश्चित करावें तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की मासिक बैठक में टीएलएम के उपयोग के बारे में समीक्षा की जावे तथा डीपीसी, एसएसए को अनुपालना रिपोर्ट मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करें।

प्राप्त टीएलएम सामग्री को शिक्षकों द्वारा टीएलएम पंजिका में निम्न प्रपत्र में संधारित किया जायेः–

कच्ची सामग्री इंद्राज प्रपत्र

(रजिस्टर के बायें पृष्ठ पर बनायें)

क्र.सं.	दिनांक	प्राप्त सामग्री	संख्या	राशि	उपयोग विवरण

हस्ताक्षर अध्यापक

निर्मित सामग्री इन्द्राज प्रपत्र

(रजिस्टर के दायें पृष्ठ पर बनायें)

क्र.सं.	निर्मित सामग्री का विवरण	संख्या	उपयोग का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि बांये पृष्ठ पर प्राप्त कच्ची सामग्री से उक्तानुसार दर्शायी शिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया है।

हस्ताक्षर अध्यापक

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 के अनुसार शिक्षक अनुदान (Teacher Grant) सम्बन्धित को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि के साथ–साथ दिशा–निर्देश सम्बन्धित कार्यालयों/विद्यालयों को उपलब्ध हो गये हैं, साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करते हुए निर्धारित समयानुसार प्रतिवेदन राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करावें। समयबद्ध कार्ययोजना निम्नानुसार है–

क्र.सं.	अनुदान	जारी करने का माह	परिषद् को रिपोर्ट करने का माह
1	शिक्षक अनुदान (Teacher Grant)	जून/जुलाई	अगस्त से प्रति माह

विशेष :–

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेण्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

उपयोगिता प्रमाण पत्र (विद्यालय स्तर)

सत्र 2017–18 हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति .....(नाम विद्यालय) को दिनांक ..... को प्राप्त टीएलएम राशि से निर्मित/क्रय शिक्षण अधिगम सामग्री को रजिस्टर के पृष्ठ संख्या ..... पर दर्ज कर लिया गया है। सामग्री का कक्षा..... विषय..... के शिक्षण में उपयोग किया जा रहा है।

क्र. स.	माह का नाम	नाम सामग्री	मात्रा	दर	राशि	विषय–वस्तु जिससे सम्बन्धित है	कच्चे माल से तैयार मॉडल का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज पृ. सं./दि.	अध्यापक जिसको इश्यू की गई

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या ..... के अनुरूप क्रय की गई जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक ..... द्वारा किया गया।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
सचिव	अध्यक्ष (एसएमसी)	अध्यापक

कार्यालय ब्लॉक ..... जिला .....

शिक्षक अनुदान/ टी.एल.एम.

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में ब्लॉक ..... जिला ..... के विद्यालयों को प्राप्त शिक्षक अनुदान की राशि का उपयोग संबंधित एसएमसी द्वारा शिक्षक अनुदान हेतु परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्रति माह प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	एसएमसी को प्राप्त राशि	एसएमसी द्वारा व्यय राशि	शेष राशि	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर
संदर्भ व्यक्ति
.....

हस्ताक्षर
ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
.....

जिला स्तर

शिक्षक अनुदान

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2017–18 में जिला ..... को शिक्षक अनुदान मद में प्राप्त राशि रूपये ..... में से कुल ..... राशि जारी की गई एवं ..... राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या ..... पर समायोजन किया जा चुका है।

उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी
.....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
.....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
.....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक
.....

जिलेवार बजट प्रावधान निम्नानुसार है:-

Teacher Grant Budget 2017-18

(Rs. In lakh)

S.No.	District Name	PS Class 1 to 2 Phy.	PS Class 1 to 2 Fin.	PS Class 3 to 5 Phy.	PS Class 3 to 5 Fin.	UPS Class 6 to 8 Phy.	UPS Class 6 to 8 Fin.	Total Phy.	Total Fin.
1	Ajmer	1144	5.72	1717	8.59	5335	26.68	8196	40.98
2	Alwar	1929	9.65	2894	14.47	7742	38.71	12565	62.83
3	Banswara	2025	10.13	3039	15.20	4006	20.03	9070	45.35
4	Baran	1145	5.73	1719	8.60	2726	13.63	5590	27.95
5	Barmer	2493	12.47	3740	18.70	6183	30.92	12416	62.08
6	Bhartpur	1049	5.25	1575	7.88	4534	22.67	7158	35.79
7	Bhilwara	1783	8.92	2675	13.38	5872	29.36	10330	51.65
8	Bikaner	1250	6.25	1877	9.39	3853	19.27	6980	34.90
9	Bundi	789	3.95	1185	5.93	2500	12.50	4474	22.37
10	Chittoregarh	1086	5.43	1629	8.15	3779	18.90	6494	32.47
11	Churu	767	3.84	1152	5.76	4180	20.90	6099	30.50
12	Dausa	754	3.77	1132	5.66	2596	12.98	4482	22.41
13	Dholpur	1487	7.44	2232	11.16	2986	14.93	6705	33.53
14	Dungarpur	1029	5.15	1544	7.72	3381	16.91	5954	29.77
15	Ganganagar	1107	5.54	1662	8.31	3713	18.57	6482	32.41
16	Hanumangarh	555	2.78	834	4.17	2904	14.52	4293	21.47
17	Jaipur	2936	14.68	4406	22.03	9426	47.13	16768	83.84
18	Jaisalmer	698	3.49	1048	5.24	1658	8.29	3404	17.02
19	Jalor	1037	5.19	1556	7.78	3576	17.88	6169	30.85
20	Jhalawar	1112	5.56	1668	8.34	3630	18.15	6410	32.05
21	Jhunjhunu	998	4.99	1498	7.49	4449	22.25	6945	34.73
22	Jhodhpur	2401	12.01	3602	18.01	5833	29.17	11836	59.18
23	Karauli	1033	5.17	1550	7.75	2934	14.67	5517	27.59
24	Kota	915	4.58	1374	6.87	3108	15.54	5397	26.99
25	Nagaur	2225	11.13	3338	16.69	7405	37.03	12968	64.84
26	Pali	1213	6.07	1821	9.11	5032	25.16	8066	40.33
27	Pratapgarh	797	3.99	1196	5.98	1801	9.01	3794	18.97
28	Rajsamand	1027	5.14	1541	7.71	3417	17.09	5985	29.93
29	Sawai Madnopur	874	4.37	1313	6.57	2717	13.59	4904	24.52
30	Sikar	1367	6.84	2052	10.26	5773	28.87	9192	45.96
31	Sirohi	574	2.87	861	4.31	2253	11.27	3688	18.44
32	Tonk	1191	5.96	1787	8.94	3221	16.11	6199	31.00
33	Udaipur	2522	12.61	3784	18.92	5991	29.96	12297	61.49
	Total	43312	216.56	65001	325.01	138514	692.57	246827	1234.14

(डॉ. जोगा राम)
आयुक्त

क्रमांकः - राप्राशिप/जय/औ.शि./दिशा-निर्देश/TLM/2017-18/ 3458 दिनांकः 3/7/17

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त अनुदान के समुचित उपयोग हेतु अधीनस्थ जि.शि.अ./ बीईईओ को आवश्यक निर्देश प्रदान करावें।
4. नियन्त्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, जिला समस्त को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार समय पर कार्यवाही सम्पन्न कर प्रतिमाह 6 तारीख तक राप्राशिप, जयपुर को प्रगति से निर्धारित मासिक प्रगति प्रपत्र में अवगत करावें।
6. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन नोगिया)
उपायुक्त

F:\Sh. Suresh Ku. Sir DD AS\M.S.Office\PTT\Grants 2017-18\Teacher Grant\Teacher Grant.doc